



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25-07-2022

दिनांक 24 / 25-07-2022 को रात्रि थाना कैण्ट 03, दुबग्गा 01, इन्दिरानगर 01, मानकनगर 01, पारा 01, सरोजनीनगर 04, सुशान्तगोल्फ सिटी 02, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज—दिनांक 25.07.2022 को उ0नि0 श्री बलकरन सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—मोनू पुत्र बाबूलाल निवासी—ग्राम टिकरिया मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ 02—राजा पुत्र सुरेश निवासी—ग्राम टिकरिया मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को कनकहा रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भादवि

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी—दिनांक 25.07.2022 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री अंगद राय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राय निवासी—65 पटेलनगर नीलमथा, सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ, ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 23.07.2022 को समय करीब 04.23 बजे सांय को वादी के मोबाइल पर 9134067051 नम्बर से कॉल आया जिस पर आईसीआईसीआई हेल्प डेस्क लिखा हुआ था। वादी ने कॉल उठाया तो फोन से बात करने वाला ने अपने आप को आईसीआईसीआई हेल्प डेस्क से बताया और बताया कि वह आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा है। उस व्यक्ति ने वादी को बताया कि वादी ने जुलाई महीने में एक क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका कार्ड नं0 भी बताया और यह भी बताया कि किस दिन कितने की शापिंग किया है। उस व्यक्ति ने वादी को यह भी बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड पर जीएसटी लग रहा है जो कि इस कार्ड पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए था। उसने बताया कि तकनीकी खराबी होने के कारण वादी के ज्यादा पैसे कट रहे हैं, और वादी का क्रेडिट कार्ड लिमिट 01 लाख रुपये का था लेकिन पोर्टल पर 81 हजार रुपये ही दिखा रहा है, उसको वह एक्टिवेट कर देगा। थोड़ी देर बाद वादी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें बैलेंस 93,177 /—रुपये दिखा रहा था। उस व्यक्ति ने बोला कि आपके नं0 पर एक 6 डिजिट नं0 का आया होगा उसे बताने को बोला तो वादी कुछ समझ नहीं पाया और 6 डिजिट नं0 को उस व्यक्ति को बता दिया, बाद में वादी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें वादी के क्रेडिट कार्ड से 93,177 /—रुपये कट गये। इस सूचना पर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 382 / 2022 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग बनाम मो0नं0 9134067051 का धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।